बिहार सरकार

परिवहन विभाग

राज्य परिवहन आयुक्त का कार्यालय, बिहार, पटना ।

बिहार– पश्चिम बंगाल एवं बिहार–उत्तर प्रदेश अन्तर्राज्यीय मार्ग पर बस परिचालन परमिट हेतु आवेदकों के लिए आवश्यक सूचना ।

पत्रांक– 4/**STA**.–**P**3–232/2012 परि0– 1063 दिनांक– 3/3/17

निदेशानुसार सर्वसाधारण को एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि दिनांक– 10.01.2017 को 12.30 बजे अपराह्न में पुराना सचिवालय स्थित अध्यक्ष–सह–सदस्य, राजस्व पर्षद–सह–अध्यक्ष, राज्य परिवहन प्राधिकार बिहार, पटना के कार्यालय कक्ष में राज्य परिवहन प्राधिकार की बैठक आहूत की गयी थी । इस बैठक में आवेदनों की संख्या अत्याधिक होने एवं समयाभाव होने के कारण सभी आवेदनों पर समुचित तरीके से विचार नहीं किया जा सका । इस हेतु दिनांक–10.01.2017 को आयोजित राज्य परिवहन प्राधिकार, बिहार, पटना की बैठक दूषित हो जाने के कारण रद्द किया जाता है ।

उपर्युक्त बैठक में विचारण होने वाले आवेदनों की सुनवाई हेतु बैठक की अगली तिथि दिनांक–16.03.2017, 20.03.2017 एवं 21.03.2017 को 2.00 बजे अपराह्न से निर्धारित की जाती है, जिसे पुराना सचिवालय स्थित अध्यक्ष–सह–सदस्य, राजस्व पर्षद–सह–अध्यक्ष, राज्य परिवहन प्राधिकार, बिहार, पटना के कार्यालय कक्ष में आहूत किया जायेगा। विदित हो कि इन बैठकों में लगभग 675 आवेदनों पर विचार किया जाना है । इस हेतु कार्यावली में उल्लिखित मद संख्या–(क–1) से (क–11) तक के आवेदनों की सुनवाई दिनांक–16.03.2017, मद संख्या–(क–12) से (क–27) तक के आवेदनों की सुनवाई दिनांक–20.03.2017 एवं शेष मद में उल्लिखित आवेदनों की सुनवाई दिनांक–21.03.2017 को की जायेगी. । ज्ञातव्य हो कि दिनांक–26.12.2016 तक समर्पित अभिलेखों के आधार पर ही परमिट स्वीकृति के संबंध में निर्णय लिया जायेगा।

बैठक की कार्यावली पूर्ववत् ही रहेगी जो दिनांक 09.12.2016 को विभागीय वेवसाईट http.//transport.bih.nic.in पर पूर्व में अपलोड की जा चुकी है ।

3/3

राज्य परिवहन आयुक्त,
बिहार, पटना ।

STA-Miting-P-86